उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,

संख्या-18/2018/474/94-स्टा०नि०-2-2018-700(64)/2018

लखनऊ : दिनांक 23 मई, 2018

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा-संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, राज्य की उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति-2018 के प्रस्तर 5.3 एवं 6.4 में उपबन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उक्त अनूसूची के स्तम्भ-4 में यथा-प्रदर्शित लिखतों के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा-प्रदर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

नीति के प्रस्तर	प्रयोजन व अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची एक-ख की अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति-2018 का प्रस्तर 5.3	विकासकर्ता द्वारा लाजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु 50 एकड़ से अधिक की भूमि क्रय किये जाने पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किया जायेगा। विकासकर्ता हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट।	100 प्रतिशत	अनुच्छेद 23(क) के अधीन हस्तांतरण।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति-2018 का प्रस्तर 6.4	लाजिस्टिक्स इकाईयों की छूट हेतु विकासकर्ता द्वारा भूमि क्रय किये जाने पर -		अनुच्छेद 23(क) के अधीन हस्तांतरण।
	पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड में स्टाम्प शुल्क में छूट	100 प्रतिशत	
	राज्य के मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़ कर) में स्टाम्प शुल्क में छूट	75 प्रतिशत	
	गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों में स्टाम्प शुल्क में छूट	50 प्रतिशत	

<u>परन्तु यह कि</u> :-

1. इस अधिसूचना के अधीन छूट केवल उन इकाईयों/पार्कों को प्रदान की जायेगी जो किसी अन्य सरकारी नीति के अधीन समान प्रकार की प्रसुविधा न प्राप्त कर रहे हों।

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी यदि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करें कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ -

"पूर्वांचल" में इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "मध्यांचल" में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल, सम्मिलित होंगे। "बुन्देलखण्ड" में चित्रकूट धाम एवं झांसी, राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "पश्चिमांचल" में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बरेली राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-18/2018/474/94-स्टा०नि०-2-2018-700(64)/2018, दिनांक 23 मई, 2018

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 24-05-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2018/474/94-स्टा०नि०-2-2018-700(64)/2018, दिनांक 23 मई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(7) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
(8) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
(9) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(10) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(11) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(12) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(13) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(14) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(15) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
(16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.18/2018/474/94-S.R.-2-2018-700(64)/2018, Dated, 23 May, 2018

Notification

Order

No.-18/2018/474/94-S.R.-2-2018-700(64)/2018

Lucknow Dated, 23 May, 2018

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule for the purpose provided in paragraph 5.3 and 6.4 of the Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy-2018 of the state as mentioned in Column-2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Paragraph of the Policy	**Purpose and other Detail**	**Extent of remission**	**Nature of Instrument and Article number of Schedule-1-B**
1	2	3	4
Paragraph 5.3 of the Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy-2018	On the purchase of land more than 50 acres by the developer for the establishment of logistics park, stamp duty will be exempted. The exemption of stamp	100%	Conveyance, Under clause (a) of Article 23.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	duty to developer.		
Paragraph 6.4 of the Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy-2018	On the purchase of land by the developer for the exemption of logistics unit- The Stamp duty exemption in Bundelkhand & Poorvanchal. Stamp duty exemption in Madhyanchal & Paschimanchal (except Gautambuddhnagar & Ghaziabad districts) of the State. Stamp duty exemption in Gautambuddh nagar & Ghaziabad districts.	100 % 75% 50%	Conveyance, Under clause (a) of Article 23 .

Provided that:-

1. The remittance under this notification shall be given to only those units/parks who are not getting the same benefit under any other Government policy.

2. The remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

Explanation- For the purpose of this notification :-

"Purvanchal" shall include the revenue divisions of Allahabad, Varanasi, Mirzapur, Azamgarh, Basti, Gorakhpur, Faizabad and Devipatan. "Madhyanchal" shall include the revenue divisions of Lucknow and Kanpur. "Bundelkhand" shall include the revenue divisions of Chitrakoot Dham and Jhansi. "Paschimanchal" shall include the revenue divisions of Agra, Aligarh, Moradabad, Meerut, Saharanpur and Bareilly.

By Order

Himanshu Kumar
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।